भा0कृ0अ0प0– केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान,
मखदूम, पोस्ट–फरह–281122, मथुरा (उ0प्र0)

मि0सं0 : 5–16(1)/सीपीएण्डसी/2016

दिनांक: 10 जून, 2016

नीलामी सूचना

निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह, संस्थान के केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामिग्री जैसे एअर कन्डीशनर, फ्रिज, कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सामान, बिजली के सामान, साइकिल एवं रिक्शा, फर्नीचर, लैब इक्युपमैन्ट तथा उनसे सम्बधित सामान, मशीनरी एवं टूल्स, आयरन स्क्रैप, जला हुआ मोबिल आयल, वाहन एव ट्रैक्टर के टायर ट्यूब, प्लास्टिक का सामान, इलैक्ट्रोनिक सामान, एल्युमिनियम का सामान, वाटर टैंकर, लकडी का सामान, भेड की ऊन इत्यादि की बिक्री हेतु "जैसा है जहॉं है" के आधार पर खुली बोली हेतु इच्छुक खरीददारों को दिनांक **27.06.2016** को प्रातः 11.00 बजे आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाता को रू.5,000/– (रूपये पॉंच हजार मात्र) प्रत्येक लॉट के लिए अलग–अलग धरोहर राशि के रूप में बोली लगाने से पूर्व जमा कराने होंगे। नीलामी के नियम व शर्ते संस्थान के क्रय एवं संविदा अनुभाग से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

नीलाम की जाने वाली वस्तुओं के अवलोकन के लिए किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक रविवार एंव अन्य अवकाश को छोडकर, प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार से सम्पर्क किया जा सकता है ।

निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह के पास बिना कोई कारण बताये सभी या किसी भी नीलामी बोली को रद्द करने व शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

नीलामी सूचना, नीलामी के नियम व शर्ते संस्थान की वेवसाइट www.cirg.res.in पर भी उपलब्ध है

10/6/16

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक

Scanned by CamScanner

भा०कृ०अ०प०—केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान,
मखदूम, फरह—281122, मथुरा (उ०प्र०)

निष्प्रयोज्य सामान, उपकरण, फर्नीचर आदि की नीलामी हेतु **नियम एवं शर्ते**

1. बोलीदाता को रू0 5,000/—(रूपये पॉच हजार मात्र) प्रत्येक लॉट के लिए अलग—अलग धरोहर राशि के रूप में बोली लगाने से पूर्व जमा कराने होंगे। धरोहर धनराशि सफल/अधिकतम बोलीदाता को छोड़कर नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी ।

2. सफल बोलीदाता को नीलामी की पूर्ण राशि का न्यूनतम एक तिहाई राशि बोली समाप्ति के बाद तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी तथा शेष राशिएक सप्ताह के अन्दर नगद या ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

3. खरीदे गये लॉट की कुल राशि जमा करने की तिथि से दस दिन के अन्दर सामान अपने खर्चे पर संस्थान से उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रति लॉट प्रतिदिन रू0 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) की दर से भंडारण शुल्क जमा करना होगा। इस प्रकार भण्डारण शुल्क सहित भण्डारण की अवधि अधिकतम दस दिन रहेगी । इसके पश्चात सामान की स्थिति की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।

4. सामान बाहर ले जाने के लिए केन्द्रीय भंडार से गेट पास जारी किया जायेगा।

5. खरीददार संस्थान के अन्दर लॉट अन्य व्यक्ति या फर्म के नाम हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

6. असफल बोली दाताओं की धरोहर राशि अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

7. सामान जैसा है जहॉ है की स्थिति में नीलाम होगा। मशीने/उपकरणों को खोलने, उठाने आदि का खर्च खरीददार को स्वयं वहन करना होगा। संस्थान की सम्पत्ति का नुकसान होने पर उसे उसका हर्जाना चुकाना होगा।

8. एक लॉट का सारा सामान एक बार में ही उठाना होगा न कि टुकड़ों में।

9. इस संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी बोली को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है । निदेशक का निर्णय हर परिस्थित में अन्तिम तथा मान्य होगा ।

10. नीलामी के दौरान यदि कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा मथुरा जनपद न्यायालय द्वारा ही निपटाया जायेगा ।

10/6/16

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

Scanned by CamScanner

नीलाम किये जाने वाले निष्प्रोज्य सामान की सूची / लाट

क.सं.	सामान का विवरण	लाट नं.
1.	एअर कन्डीशनर तथा फ्रिज	1.
2.	कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सामान	2.
3.	इलैक्ट्रीकल सामान	3.
4.	साइकिल एवं रिक्शा	4.
5.	फर्नीचर	5.
6.	लैव इक्यूपमेन्ट तथा उससे सम्बन्धित सामान	6.
7.	मशीनरी एवं टूल्स	7.
8.	आयरन स्क्रैप	8.
9.	जले हुए मोबिल आयल के ड्रम	9.
10.	वाहन एवं ट्रैक्टर के टायर ट्यूब	10.
11.	प्लास्टिक बोतल एवं बडी टंकी	11.
12.	इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे – कैमरा तथा अन्य	12.
13.	एल्युमिनियम का सामान	13.
14.	पेपर रद्दी तथा अन्य	14.
15.	वाटर टैन्कर	15.
16.	लकड़ी के टूटे हुए पलमेट व किवाड	16.
17.	भेड़ की ऊन	17.

10/6/16

Scanned by CamScanner